
मानव विकास कल्याण

चैरिटेबल ट्रस्ट



वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

2018 – 2019



मानव विकास कल्याण

चैरिटेबल ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत, प्रमाणपत्र (धारा 60) भारत सरकार

पंजीकृत कार्यालय: महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली - 110045

प्रधान कार्यालय :- गोठवाली गली राजगढ़ अलवर - 301408

E-Mail id :- charitabletrust2010@gmail.com

 &  No : - 9414362850

संस्था का परिचय

मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम

1882 के तहत पंजीकृत है। जिसका पंजीयन 19 अप्रैल 2010 को कराया
गया।

पंजीकृत क्रमांक : 2511

पंजीकृत तिथि : 19 अप्रैल 2010

संस्थापक का नाम : श्री मदन लाल गुप्ता

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष

कार्यालय पता : गोठवाली गली राजगढ़ अलवर 301408

विजन : राजगढ़ एवं बाँदीकुई क्षेत्र में आदर्श समाज की स्थापना करना जिससे हर सामाजिक भेदभाव रहित महिला – पुरुष आनन्दमयी जीवन जी सकें।

मिशन : मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा समाज को संगठित कर जागरूक बनाना।

मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य

1. समाज की गरीब, दलित, वंचित एवं शोषित वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।
2. शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विधालयों/महाविद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना।
3. आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाना।
4. सरकारी कार्यक्रमों व सुविधाओं को समुदाय आधारित सशक्त बनाना।
5. समाज में फैली कुरुतियों को दूर करने हेतु प्रवचन, सेमिनार का आयोजन करना।
6. रोग पीड़ियों को चिकित्सा सुविधा में मदद करना।
7. विधवा, विवाहशुदा, तलाकशुदा महिलाओं की मदद करने के लिए, जीवन जीने के लिए लधु एवं कुटीर की स्थापना

मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम

1. योगा शिविर का आयोजन।
2. स्वास्थ शिविर।
3. अभिलेख कक्षाओं का आयोजन।
4. बाल श्रम सर्वेक्षण।
5. वृद्धजन गौ सेवा।
6. नशा मुक्ति शिविर।
7. उपभोक्ता जागरूकता शिविर।
8. पशु पक्षियों के चुग्गे की व्यवस्था करना।
9. चरागहों में चारा एवं पानी की व्यवस्था करना।
10. वृक्षारोपण कार्यक्रम करवाना।
11. महिलाओं के अधिकार के लिए जागरूता अभियान।
12. खेलों का आयोजन।
13. व्यस्क शिक्षा जागरूता शिविर।

योगा शिविर का आयोजन :

मानव विकास
कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा
वर्ष 2018 - 2019 में गांधी ग्रांड
रेलवे कॉलोनी बाँदीकुर्झ में योग
शिविर का आयोजन किया। हमारे



ट्रस्ट ने आस पास के नागरिकों के लिए पार्क में योग विशेषज्ञ द्वारा योगा शिविर का आयोजन करवाया। योगाचार्य श्री सुनिल जी ने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग सबसे सरल सस्ते बिना खर्च के बिना साइड इफेक्ट का तरीका है। शिविर में ट्रस्ट द्वारा योगा करने के लिए चटाई

और पीने के पानी का प्रबन्ध किया गया। बच्चों के लिए एक दिवसीय योग शिविर बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया एवं गायत्री मंत्र का अभ्यास करवाया। आचार्य जी ने बताया कि योगों को लगातार



करतें रहने से हम बड़े रोगों से भी बच सकते हैं और पीड़ित भी हैं तो योग के माध्यम से इलाज संभव है।

स्वास्थ्य शिविर का आयोजन :



मानव विकास कल्याण चैरिटेबल

ट्रस्ट के द्वारा वर्ष 2018 - 2019

में निःशुल्क एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया

जैसे चर्म रोग, नाक, कान, गला, सर्दी, बुखार, ब्लड़ प्रेशर और शुगर आदि का निःशुल्क परीक्षण किया गया। ट्रस्ट के द्वारा ब्लड़ प्रेशर और शुगर की जांच भी निःशुल्क की गई तथा दवाईया भी निःशुल्क दी गई।

मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में डॉ. महेन्द्र जी, डॉ. सुनील जी, डॉ. प्रीति जी एवं सहायक के रूप में अमित जी, राकेश जी, हनुमान जी, दिलिप जी, आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता श्रीमती इन्द्रा पोसवाल एवं वार्ड मेम्बर महेश जी, मुकेश जी आदि लोग उपस्थित थे।

मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मदन लाल गुप्ता जी ने बताया कि शिविर में 110 लोगों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली एवं निःशुल्क दवाईया प्राप्त की गई तथा 90 लोगों की निःशुल्क शुगर जांच की गई।

अभिरुचि कक्षाओं का आयोजन :



शिविर में कोडियोग्राफर श्री अरमान खान जी के द्वारा नृत्य का प्रशिक्षण दिया गया।



आयें हुए सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क सामग्री वितरित की गई। व पुरस्कार वितरण किया गया।

मानव विकास कल्याण चैरिटेबल

ट्रस्ट के द्वारा वर्ष 2018 - 2019

में निःशुल्क अभिरुचि शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नृत्य, चित्रकला, जैसे छोटे कार्यक्रम का संचालन किया गया

चित्रकला शिविर की अध्यापिका श्रीमती नेहा जी व डिम्पल जी ने बच्चों को कला के बारे में रंगों के बारें में ज्ञान कराया। ट्रस्ट के न्यासी सदस्यों के द्वारा अभिरुचि शिविर में



बाल श्रम सर्वेक्षण :



मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा व वर्ष 2018 - 2019 में बाल श्रम निरोधक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को बंधुआ मजदूरी, दासता व बाल श्रम निरोधक कानून के बारे में जानकारी



दी गई। शिविर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य मोहन जी गोयनका ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी दुकान, खेत, रेस्टोरेट,

होटल, व्यवसायिक संस्थान, ढाबा, नाटयशाला, आदि स्थानों पर काम करवाना अपराध है। संविधान अधिनियम 1986, 2000 के तहत इसके दोषी अभिभावक और मालिक दोनों के खिलाफ सजा व जुर्माने दोनों का प्रावधान है।

★ वृद्धजन गौ सेवा दान :



मानव विकास कल्याण

चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा वर्ष
2018 - 2019 में गौ सेवा
की गई जिसमें वृद्ध दम्पति
के द्वारा गड़ दान करवाया
गया एवं गौशाला में चारा



पानी की व्यवस्था की व्यवस्था करवाई। शास्त्रो में कहा गया है कि गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं। हिन्दु संस्कृति में गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता है गौ को गड़ माता भी कहा जाता है गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का निवास माना जाता है।

नशा मुक्ति शिविर :



मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा व वर्ष 2018 - 2019 में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर के आयोजन का मुख्य कारण था युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना एवं नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं को बचना। इस शिविर मे सभी लोगों को नशा ना करने की शपथ ली और दूसरो को भी नशे से बचाने का प्रण लिया।

नशा क्यों किया जाता है ?
मेरी तो समझ में नहीं आता है
ये क्या दुखों की दवा है ?
मुझे तो ये लगती जानलेवा है
ऐसा तो नहीं है
ये बात पीने वालों को
समझ में नहीं आती
कि तुम्हारी ये आदत
तुम्हारे अपनों को
कितना है तडपाती
माना पीने के बाद
आदमी बहक जाता है
पर पीने जाता है
तब तो होश में होता है

शराब का नशा तो
रात ढलते ही उत्तर जाता है
अगर जिंदगी भर
नशे में रहना है तो
जो पैसा नशे पर लुटाते हो
उससे ऐसा कुछ कर जाओ
कि तुम्हारे जाने के बाद
तुम्हारे जाने का गम हो
किसी गम की दवा
नशा नहीं होता
उनके सहारे बन जाओ
जिनका कोई
सहारा नहीं होता ।

--- सरोज जोशी

उपभोक्ता जागरूकता शिविर:



मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा वर्ष 2018 में उपभोक्ता जागरूकता शिविर एवं उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के दौसा जिले के बाँदीकुई कस्बे और अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में किया गया। इस शिविर का आयोजन प्रत्येक चार माह में किया जाता है। ताकि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की ठगी का सामना ना करना पड़े और वह अपने अधिकारों से वंचित ना रहे।



मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा वर्ष 2018 में उपभोक्ता जागरूकता शिविर एवं उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के दौसा जिले के बाँदीकुई कस्बे



राजस्थान राज्य में केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार 15 मार्च 2011 को विश्व उपभोक्ता हैल्पलाईन का शुभारम्भ किया जा चुका है। उपभोक्ता हैल्पलाईन का टोल फ्री नम्बर 1800 180 6030 है।

पशु पक्षियों के चुग्गे की व्यवस्था करना:



मानव विकास कल्याण

चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा वर्ष 2018

- 2019 में पशु पक्षियों के चुग्गे एवं पानी की व्यवस्था करवाई गई। जिससे बेजुबान पशु पक्षियों

को भीष्म गर्मी में भूख प्यास से तड़पना ना पड़े। ट्रस्ट अध्यक्ष ने अपने न्यासी सदस्यों एवं कार्यक्रम में आये हुए सभी आगन्तुकों को अपने घरों की छत पर एवं घरों के आस पास पक्षियों के चुग्गा पानी रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान ट्रस्ट की और से पक्षियों के चुग्गा पानी रखने के बर्तनों का निःशुल्क वितरण किया गया।

इस कार्यक्रम में आये हुए पार्षद श्री महेश जी ने कहा कि पानी अनमोल है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। हम इंसान को भूख प्यास व्याकुल कर देती है तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है बेजुबान पशु पक्षियों की क्या हालत होती होगी। गर्मी के चार महीने हम चुग्गे एवं पानी की व्यवस्था कर दे तो इससे बड़ा पुण्य का और कोई काम नहीं।

चरागहों में चारा एवं पानी की व्यवस्था करना:

मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा व वर्ष 2018 - 2019 में

चरागहों में चारा एवं पानी की व्यवस्था की। जिससे अवारा पशुओं को भूख प्यास से तड़पना ना पड़े। ट्रस्ट के न्यासी सदस्य ने गणेश मन्दिर बाँदीकुर्झ



में स्थित गोशाला चर जाकर गायों को चारें पानी की व्यवस्था करवाई।



वृक्षारोपण कार्यक्रम करवाना :



मानव विकास
कल्याण चैरिटेबल
ट्रस्ट के द्वारा व
वर्ष 2018 - 2019
में वृक्षारोपण
कार्यक्रम किया

गया जिसमें प्राथमिक स्कूल के नन्हे मुन्हे बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण करवाया। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह वृहद पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया इस दौरान बच्चों के अभिभावक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आये हुए सभी लोगों ने पौधारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पौधारोपण करने के लिए पौधे पाकर बच्चे प्रसन्न थे।



**वृक्षारोपण :
एक पौधा एक संकल्प**

बच्चों के माता पिता व कार्यक्रम में आये हुए सज्जनों ने पेड़ न कटनें देने की शपथ ली।

महिलाओं के अधिकार के लिए जागरूता अभियान :



मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट
के द्वारा व वर्ष 2018 - 2019 में
महिलाओं के अधिकार सम्मान के लिए

जागरूता अभियान कार्यक्रम किया गया जिसमें नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। ट्रस्ट की न्यासी सदस्य उम्रदराज श्रीमती उषा जी ने बताया कि नारी एक माँ, बहन, बेटी, है उसका सम्मान करो यदि एक नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आज महिला पुरुषों से आगे निकल रही है वो दिन दूर नहीं जब नारी पुरुषों से कन्धे से कन्धे मिलाकर चलेगी। इस अभियान में आंगनबाड़ी व आशा सहयोगनी ने सहयोग किया।



खेलों का आयोजन :



मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा व वर्ष 2018 - 2019 में खेलों का आयोजन किया गया इस खेल समारोह मे लगभग 150 विद्यार्थीयो ने भाग लिया। खेल में जीतने वाले विद्यार्थीयो को ट्रस्ट की और से उपहार दिये गये। खेलों के दौरान रस्सा कसी, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, खो-खो, कबड्डी और बैडमिंटन जैसी कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कुछ विद्यार्थीयों ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए। खिलाड़ियों और दर्शकों ने खेल का उत्साह पूर्वक आनन्द उठाया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष महोदय ने भाषण दिया। विजेता विद्यार्थीयों को भेट देते हुए समारोह संपन्न किया गया।

व्यस्क शिक्षा जागरूता शिविर :



साक्षरता हर व्यक्ति का एक बुनियाद अधिकार है इसलिए मानव विकास

कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट ने वर्ष 2018 - 2019 के दौरान गावों में व्यस्क शिक्षा

जागरूकता शिविर आयोजित किये। व्यस्क शिक्षा जागरूकता शिविर का

उद्देश्य उन व्यस्कों को शैक्षिक विकल्प प्रदान करना है जिन्होंने पढ़ाई

मौका खो दिया और औपचारिकता शिक्षा की आयु को पार कर लिया है

लेकिन अब सारक्षता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास, और समकक्ष सहित

किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।





मानव विकास कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट

आप सभी का ट्रस्ट के साथ

सहयोग करने के लिए आभारी है।

“धन्यवाद”